रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28062025-264227
SG-DL-E-28062025-264227

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]	दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 104
No. 186]	DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947	[N. C. T. D. No. 104

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जून, 2025

फा. सं. 2(3)/स्था0/पुरातत्व/2023/1193.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'बागवानी सहायक' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—** (i) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, 'बागवानी सहायक' भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि :–** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या किसी अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**बागवानी सहायक**
2.	**पदों की संख्या**	:	**01* (2025)** * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	स्तर–6 (रुपये 35400–112400/–)
5.	**क्या चयन पद है/गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं **टीप 1** :– केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। **टीप 2** :– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्यः–** किसा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी. एससी (कृषि) या बी.एससी (बागवानी)। **वांछनीयः–** किसी सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में सजावटी बागवानी या लैंडस्कैपिंग में दो वर्षों का अनुभव।

			टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप 2:** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए **टीप :** परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण करना होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति**	:	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	**प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) :–** केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक या स्वायत्त निकाय/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदत्त ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित या समकक्ष; तथा (ख) कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक तथा वांछनीय योग्यताएं रखता हो। **टीप :** प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. प्रशासनिक सचिव, कला संस्कृति भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य

			टीप : यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रश्मि सिंह, सचिव (कला संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 24th June, 2025

F. No. 2(3)/Estt./Archy./2023/1193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Horticulture Assistant' in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**

   (1)These rules may called the Department of Archaeology, Horticulture Assistant Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.**

   The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**

   The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**

   No persons, -

   (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**

   Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of Post.	**Horticulture Assistant**
2.	Number of Posts.	01 * (2025) *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	General Central Service Non Ministerial, Non-Gazetted, Group-B
4.	Pay Level in the Pay Matrix.	Level-6 (Rs. 35400-112400)
5.	Whether Selection Post / Non-Selection Post.	Not applicable
6.	Age limits for Direct Recruits.	Not Exceeding 30 Years. **Note 1:** Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the DSSSB/Competent Authority.
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	**Essential:** i) B.Sc (Agriculture) or BSc (Horticulture) from a recognized University or Institute. **Desirable :** Two years' experience in ornamental horticulture or landscaping in a Government organization or recognized university / institution. **Note l:** Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB/ Competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience is / are relaxable at the discretion of the DSSSB/ Competent authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Caste/ Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available / to fill up the posts reserved for them.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	Age : Not applicable EQ : Not Applicable
9.	Period of Probation if any.	Two years for direct recruits. Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Competent Authority.
10.	Method of Recruitment.	By deputation (ISTC) failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from	**Deputation (ISTC) :**

	which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Officers from the Central Government/ State Governments/ Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Bodies/ Recognized Universities/ Recognized Research Institutes: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with 6 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department; **AND** (b) possessing the educational and desirable qualifications prescribed in Column 7. **Note :**Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the application.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Departmental Confirmation Committee :** 1. Financial Commissioner, Government of NCT of Delhi : **Chairperson** 2. Administrative Secretary of the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi : **Member** 3. Special/Additional Secretary (GAD), Government of National Capital Territory of Delhi: **Member** **Note**: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RASHMI SINGH, Secy. (ACL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA